छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा तृतीय सत्र अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024

(श्रावण 3, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 58 तारांकित एवं अतारांकित 82 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या-02 पर चर्चा के दौरान आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इसकी जांच सदन की कमेटी से कराये जाने की घोषणा की।)

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- **"एक पेड़ माँ के नाम"** अभियान के तहत आज दोपहर 01.30 बजे से 3.00 बजे तक विधान सभा आवासीय परिसर में माननीय सदस्यों द्वारा पौधरोपण किया जाना है ।

माननीय सदस्यों के पौधरोपण स्थल तक आवागमन की सुविधा हेतु विधान सभा के व्ही.आई.पी. प्रवेश द्वार पर दो बसों की व्यवस्था कराई गई है।

कृपया माननीय सदस्यगण अपनी सुविधानुसार पौधरोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हों ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, तथा

(2) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20,

पटल पर रखे ।

4. पृच्छा

(1) डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य सर्वश्री विक्रम उसेण्डी, राघवेन्द्र कुमार सिंह, दलेश्वर साहू, उमेश पटेल, लालजीत सिंह, अटल श्रीवास्तव, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री जनक ध्रुव, द्वारिकाधीश यादव, लखेश्वर बघेल, भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और डायरिया की बीमारी का प्रभाव एवं दवाइयों का अभाव संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

(2) माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा अवैध प्लाटिंग कर शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाने संबंधी उनकी ध्यानाकर्षण सूचना को ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय सदस्य सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, विक्रम उसेण्डी द्वारा भी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में डायरिया,मलेरिया तथा अन्य विषयों को लेकर आज सदन का ध्यान आकर्षित किया। ये विषय महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से मैं कल किसी न किसी रूप में इस विषय को समय दूंगा और इसे लूंगा और उस पर चर्चा भी होगी मुझे लगता है कि आज अन्य विषय करने की अनुमति प्रदान करें।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सहमति व्यक्त की ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) श्री धरमलाल कौशिक सदस्य ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाई एवं उपकरणों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 01 पर संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के दौरान बार-बार "यह कहना गलत है" कथन किये जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य द्वारा जो ध्यानाकृष्ट कराया गया है, उसमें शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। "जो कहा गया है, वह सही नहीं है", यह शब्द उपयोग होना चाहिए । उन्होंने जो गलत शब्द के उपयोग पर आपत्ति उठाई है, मैं उसे उचित मानता हूं। इसलिए आगे सावधानी बरतें।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री धर्मजीत सिंह सदस्य ने प्रदेश में भुईंया प्रोग्राम के क्रियान्वयन में दर्ज त्रुटियों से डायवर्सन प्रक्रिया को बंद रखे जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अंतराल 1.21 बजे से 3.00 बजे तक)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(3) श्री उमेश पटेल सदस्य ने मिनी माता बांगो परियोजना अंतर्गत पोता से मालखरौदा होते हुए बड़े सीपत तक नहर निर्माण प्रारंभ नहीं होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उपस्थित हैं, सदन उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

11. बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री उमेश पटेल, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।)

12. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(4) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम सदस्य ने कोरबा जिले में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हेतु विस्थापित किये गये परिवारों का पुनर्वास नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

13. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्रीमती शेषराज हरवंश

(3) श्री बघेल लखेश्वर

14. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक-01)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट
(क्रमांक-02)	श्री राजेश मूणत	30 मिनट
(क्रमांक-05)	श्री पुन्नूलाल मोहले	30 मिनट
(क्रमांक-07)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक-09)	श्रीमती अनिला भेंडिया	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गयीः-

(1) श्रीमती भावना बोहरा

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024)

उक्त विधेयक पर विभागीय मंत्री द्वारा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि चूंकि इस विधेयक का असर बहुत व्यापक होगा, पूरे प्रदेश भर के किसानों, मंडी से जुड़े हुए व्यापारियों, पशुपालकों, मवेशी व्यापरियों से जुड़ा हुआ विषय है । जब ऐसे बिल आते हैं तो उन्हें प्रवर समिति को भेजा जाता है । लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रवर समिति का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में 67 (क) में यह प्रावधान है- भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उनके विधेयक पर विचार किया जाए तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए या प्रस्ताव में उल्लेखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने सचिवालय को पत्र भी लिखा है। चूंकि यह बहुत व्यापक है और पूरे समाज को प्रभावित करेगा। इसलिए इसे परिचालन में रखा जाए और जब परिचालन हो जाए तब फिर सदन में चर्चा की जाए।

इस संबंध में माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- कृपया आप नियम 67 के उप नियम (2) के पद (क) देखें उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि-"यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उसके विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये या प्रस्ताव में उल्लेखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

आपने जो प्रस्ताव दिया है, उसके अनुसार विधेयक को पारित करने के पूर्व राय जानने हेतु पारण प्रक्रिया आज दिनांक को रोकने के संबंध में है, उसके अनुसार केवल राय जानने के लिए केवल आज पारण प्रक्रिया को रोका जाना है । राय जानने की प्रक्रिया एक दिन में पूर्ण होना संभव

ही नहीं है, इसलिए मैंने आपके इस प्रस्ताव को तकनीकी दृष्टि से सही नहीं होने के कारण सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है ।

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री भूपेश बघेल, अजय चन्द्राकर, ब्यास कश्यप, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, धरमलाल कौशिक, श्रीमती संगीता सिन्हा,

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन में

पक्ष में 47 मत पड़े ।

विपक्ष में 27 मत पड़े ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 13 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

17. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये बेहतर उपाय किये जायें

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री किरण देव, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, राजेश अग्रवाल, रामकुमार यादव, श्री गजेन्द्र यादव,

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

अध्यक्षीय निर्देश

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि सभी वाहन चालकों का नियमित ऑख-चेकअप किया जाना चाहिए ।

18. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

श्री धर्मजीत सिंह,

श्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

रात्रि 7.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 (श्रावण 4, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा